


मैंने उक्त तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने उक्त निगरानी दिनांक 06.05.2008 को इस न्यायालय में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 80(2) वर्तमान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(2) के तहत पेश की थी। जिसमें उसने एक मकान क्षेत्रफल 35' गुणा 45', वाके रविदासनगर, श्रीगंगानगर आवंटन अधिकार पत्र क्रमांक/नियमन/आवंटन/1999/निल दिनांक 22.09.2000 से निर्मला देवी को आवंटन किया गया है, को निरस्त करने की प्रार्थना की थी। पूर्व में उक्त धारा 73(2) के तहत कार्यवाही करने के लिए निम्न हस्ताक्षरकर्ता अर्थात् जिला कलेक्टर को शक्तियां थी किन्तु राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना दिनांक 10.06.2016 से ये शक्तियां प्रत्येक संभाग के संभागीय आयुक्त को दे दी गई है। इसलिए अब इस प्रकरण में सुनवाई कर निस्तारण करने की अधिकारिता निम्न हस्ताक्षरकर्ता को नहीं रहती है। इसलिए उक्त प्रकरण को सक्षम ऑथोरिटी/न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए लौटाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर बनाम निर्मला देवी को सक्षम ऑथोरिटी के समक्ष पेश करने हेतु उक्त निगरानी लौटाई जाती है। इस आशय का नोट मूल निगरानी पर अंकित कर दिया जावे। नगर परिषद्, श्रीगंगानगर को इस न्यायालय के उक्त आदेश की प्रति भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(शिवप्रसाद म. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर